न्यायालय ए0 सी0 जे0 एम 0/अपर सिविल जज (सी0 डि0), कोर्ट संख्या–2, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी– (Ajay Kumar -IV), (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)– UP02380
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–394/2025
C.N.R. NO–UPBJ040–13268–2025
धीर सिंह बनाम अमन
मु0 अ 0 सं0–598/2023
धारा–366, 120B भा0 दं0 सं0
थाना–स्योहारा, जिला बिजनौर

दिनांक: 29.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली एफ 0 आर 0 के निस्तारण हेतु नियत है

वादी मुकदमा धीर सिंह की ओर से अंतिम रिपोर्ट पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मु0 अ 0 सं0–598/2023 अंतर्गत धारा–366, 120B भा0 दं0 सं0, थाना स्योहारा, जिला बिजनौर में विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई है तथा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में किसी अपराध का होना नहीं पाया गया है।

वादी को न्यायालय से नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामीला पर्याप्त है। वादी की ओर से अंतिम आख्या पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। आज भी वादी अनुपस्थित है। उसकी ओर से कोई आपत्ति भी दाखिल नहीं की गयी है। उसे आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। प्रकरण वर्ष 2024 से विचाराधीन है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के प्रपत्र सी0 एल 0 नं0 31/2022/एडमिन जी–11, दिनांकित 11.12.2022 के अनुसार अंतिम आख्याओं से संबंधित मामलों का निस्तारण तीन माह के अन्दर किया जाना चाहिए।** वादी की अनुपस्थिति के कारण अंतिम आख्या को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। ऐसी दशा में पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है तथा किसी प्रकार की कार्यवाही का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। निष्कर्षतः अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है तथा कार्यवाही तदनुसार समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मु0 अ 0 सं0–598/2023 अंतर्गत धारा–366, 120B भा0 दं0 सं0, थाना स्योहारा, जिला बिजनौर के प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित **अन्तिम रिपोर्ट संख्या 116/2023 दिनांकित 08.11.2023 स्वीकार** की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 29.06.2026

(अजय कुमार–IV)
ए 0 सी0 जे0 एम 0/अपर सिविल जज (सी0 डि0),
कोर्ट संख्या–2, बिजनौर
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 2380